

## Annexure

### क्रियान्वयन हेतु वित्तीय दिशा निर्देश वित्तीय वर्ष 2021 – 2022

कार्यक्रम का नाम: Referral Transport

बजट/एफ०एम०आर शीर्ष (ROP के आधार पर): Free Referral Transport – JSSK for Pregnant Women  
नया बजट क्रम संख्या/एफ०एम०आर कोड संख्या (ROP के आधार पर): 7.1

कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण:

'नेशनल एम्बुलेन्स सेवा' की विशेषताएँ:

1. यह सेवा 24x7 घण्टे उपलब्ध है तथा एम्बुलेन्स उपलब्ध कराने हेतु निःशुल्क टॉल फ्री नम्बर '102' पर डायल किया जा सकता है।
2. Google Play Store से "102 Emergency Bihar" App से मोबाईल में डाउनलोड कर भी 102 एम्बुलेन्स सुविधा निःशुल्क प्राप्त की जा सकती है।
3. इन एम्बुलेन्सों को सभी चिकित्सा महाविद्यालय अस्पतालों तथा उन स्वास्थ्य संस्थानों पर केंद्रित किया गया है जहां प्रसव सेवा उपलब्ध है।
4. इस योजना के अन्तर्गत राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार के पत्रांक 7960 दिनांक 05.02.2021 के आलोक में "सभी प्रकार के मरीजों को 102 एम्बुलेन्स सेवा निःशुल्क उपलब्ध है"।

ईकाई राशि (रु० में) :

प्रति BLS एम्बुलेन्स के परिचालन हेतु सेवा प्रदाता से अनुबंध के शर्तानुसार निर्धारित दर पर भुगतान हेतु तत्काल रु० 1,20,000/- प्रतिमाह प्रति एम्बुलेन्स की के दर से आवंटन उपलब्ध कराया जा रहा है।

इस संदर्भ में यदि कोई पत्र पूर्व में प्रेषित किया गया हो (पत्र सं० तिथि के साथ उल्लेखित करें)

(क) पत्रांक 7960 दिनांक 05.02.2021


(ख)

(ग)

संबंधित कार्यक्रम अधिकारी/ सलाहकार का नाम : कमल नयन, उप सचिव-सह-प्रभारी रेफरल ट्रॉसपोर्ट

संबंधित कार्यक्रम अधिकारी/ सलाहकार का फोन नंबर : 9973352191



  
(अविनाश कुमार पाण्डेय)  
राज्य कार्यक्रम प्रबंधक  
राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना

## Annexure

### क्रियान्वयन हेतु वित्तीय दिशा निर्देश वित्तीय वर्ष 2021 – 2022

कार्यक्रम का नाम : Referral Transport

बजट/एफ०एम०आर० शीर्ष (ROP के आधार पर) : State Basic Ambulance / Dial 102 / Dial 104

नया बजट क्रम संख्या/एफ०एम०आर० संख्या (ROP के आधार पर): 7.4.1.1

कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण :

इस सेवा के अन्तर्गत निम्नलिखित प्रकार के एम्बुलेन्सों का परिचालन किया जा रहा है:-

- (i) 05 Power Grid द्वारा प्रदत्त ALS एम्बुलेन्स का परिचालन विभिन्न चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल में किया जा रहा है।

क्रमांक	चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल/ संस्थान का नाम	क्रमांक	चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल/ संस्थान का नाम
1.	पटना चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, पटना	4.	जवाहर लाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, भागलपुर
2.	इन्दिरा गाँधी हृदय रोग संस्थान, पटना।	5.	श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, मुजफ्फरपुर
3.	इन्दिरा गाँधी आयुर्विज्ञान संस्थान, पटना		

- (ii) टॉल फ्री सं० 102 के अन्तर्गत प्रत्येक जिले एवं चिकित्सा महाविद्यालय अस्पतालों में कुल 44 ALS (पुराने) एम्बुलेन्स का परिचालन सेवा प्रदाता मेसर्स कन्सोर्टियम ऑफ पशुपतिनाथ डिस्ट्रीब्यूटर्स प्रा० लि० और सम्मान फाउन्डेशन, पटना द्वारा किया जा रहा है, जिनके परिचालन व्यय का भुगतान ALS एम्बुलेन्स के लिए 102 अनुबंध-पत्र के Annexure-C में निर्धारित दर पर किया जायेगा।

- (iii) टॉल फ्री सं० 102 के अन्तर्गत प्रत्येक जिले एवं चिकित्सा महाविद्यालय अस्पतालों में कुल 46 ALS (नये) एम्बुलेन्स का परिचालन सेवा प्रदाता मेसर्स कन्सोर्टियम ऑफ पशुपतिनाथ डिस्ट्रीब्यूटर्स प्रा० लि० और सम्मान फाउन्डेशन, पटना द्वारा किया जा रहा है, जिनका परिचालन व्यय दर 102 अनुबंध-पत्र के Annexure-C में वर्णित है।

- (iv) भारत सरकार सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (सड़क सुरक्षा) द्वारा ट्रॉमा सेन्टर के लिए प्राप्त 09 एडवांस लाईफ सपोर्ट एम्बुलेन्स का परिचालन निम्न चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल/जिलों के द्वारा टॉल फ्री नं० 102 के माध्यम से सेवा प्रदाता मेसर्स कन्सोर्टियम ऑफ पशुपतिनाथ डिस्ट्रीब्यूटर्स प्रा० लि० और सम्मान फाउन्डेशन, पटना द्वारा किया जाना है, जिनका परिचालन व्यय दर 102 अनुबंध-पत्र के Annexure-C में वर्णित है।

क्रमांक	चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल एवं जिला का नाम	क्रमांक	जिला/अनुमण्डलीय अस्पताल का नाम
1	श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, मुजफ्फरपुर	6	सदर अस्पताल, मधेपुरा
2	दरभंगा चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, दरभंगा	7	सदर अस्पताल, सासाराम
3	अनुग्रह नारायण मगध चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, गया	8	सदर अस्पताल, गोपालगंज
4	सदर अस्पताल, किशनगंज	9	अनुमण्डलीय अस्पताल, झंझारपुर, मधुबनी
5	सदर अस्पताल, पूर्णियाँ		

24

(अविनाश कुमार पाण्डेय)  
राज्य कार्यक्रम प्रबंधक  
राज्य स्वास्थ्य समिति, विहार, पटना



(v) सेवा प्रदाता द्वारा प्रदत्त कराये गये BLS एम्बुलेन्स :-

102 सेवा प्रदाता द्वारा Turnkey Basis के आधार पर राज्य के रोगियों को एम्बुलेन्स सेवा उपलब्ध कराने हेतु BLS एम्बुलेन्स उपलब्ध कराये गये हैं, जिनका परिचालन व्यय दर 102 अनुबंध-पत्र के Annexure-C में वर्णित है। उक्त एम्बुलेन्सों का उपयोग टॉल फ्री नं० 102 के माध्यम से राज्य के सभी प्रकार के रोगियों के निःशुल्क परिवहन हेतु किया जा रहा है।

(vi) शव वाहन सेवा :-

1. टॉल फ्री सं० 102 के अन्तर्गत प्रत्येक जिले एवं चिकित्सा महाविद्यालय अस्पतालों में शव वाहन का परिचालन सेवा प्रदाता मेसर्स कन्सोर्टियम ऑफ पशुपतिनाथ डिस्ट्रीब्यूटर्स प्रा० लि० और सम्मान फाउन्डेशन, पटना द्वारा किया जा रहा है, जिनका परिचालन व्यय दर 102 अनुबंध-पत्र के Annexure-C में वर्णित है।
2. यह वाहन मानव शव के परिवहन हेतु उपलब्ध है।

इकाई राशि (रु० में) एवं वित्तीय दिशा-निर्देश :-

- (क) कंडिका (i) में वर्णित चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थान में परिचालित 05 ALS एम्बुलेन्सों के परिचालन व्यय हेतु रु० 1,44,000/- प्रति माह प्रति ALS एम्बुलेन्स की दर से संबंधित जिलों के सिविल सर्जन को राशि उपलब्ध करायी जा रही है।
- (ख) कंडिका (ii) में वर्णित प्रत्येक चिकित्सा महाविद्यालय अस्पतालों एवं जिले में परिचालित कुल 44 ALS के परिचालन व्यय हेतु रु० 1,44,000/- प्रति माह प्रति ALS एम्बुलेन्स की दर से संबंधित जिलों के सिविल सर्जन को राशि उपलब्ध करायी जा रही है।
- (ग) कंडिका (iii) में वर्णित चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल तथा जिलों में परिचालित 46 ALS एम्बुलेन्सों के परिचालन व्यय हेतु रु० 1,44,000/- प्रति माह प्रति ALS एम्बुलेन्स की दर से संबंधित जिलों के सिविल सर्जन को राशि उपलब्ध करायी जा रही है।
- (घ) कंडिका (iv) में वर्णित 09 ट्रॉमा सेन्टर के परिचालन व्यय हेतु रु० 1,44,000/- प्रति माह प्रति ALS एम्बुलेन्स की दर से संबंधित जिलों के सिविल सर्जन को राशि उपलब्ध करायी जा रही है।
- (ङ) कंडिका (v) में वर्णित 102 सेवा प्रदाता द्वारा प्रदत्त BLS एम्बुलेन्स के परिचालन व्यय हेतु रु० 1,30,000/- प्रति माह प्रति एम्बुलेन्स की दर से तत्काल जिलों के सिविल सर्जन को राशि उपलब्ध करायी जा रही है।
- (च) कंडिका (vi) में वर्णित शव वाहन के परिचालन व्यय हेतु रु० 84,000/- प्रति माह प्रति शव वाहन की दर से जिलों के सिविल सर्जन को राशि उपलब्ध करायी जा रही है।

इस योजना के अन्तर्गत राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार के पत्रांक 7960 दिनांक 05.02.2021 के आलोक में "सभी प्रकार के मरीजों को 102 एम्बुलेन्स सेवा निःशुल्क उपलब्ध है"।

इस संदर्भ में यदि कोई पत्र पूर्व में प्रेषित किया गया हो (पत्र सं० तिथि के साथ उल्लेखित करें)

(क) पत्रांक 7960 दिनांक 05.02.2021

(ख)

(ग)

संबंधित कार्यक्रम अधिकारी/ सलाहकार का नाम : कमल नयन, उप सचिव-सह-प्रभारी रेफरल ट्रॉसपोर्ट

संबंधित कार्यक्रम अधिकारी/ सलाहकार का फोन नंबर : 9973352191

(अविनाश कुमार पाण्डेय)  
राज्य कार्यक्रम प्रबंधक  
राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना

क्रियान्वयन हेतु वित्तीय दिशा निर्देश वित्तीय वर्ष – 2021-22

कार्यक्रम का नाम– Drop back for Sterilization services under FP

बजट/एफ०एम०आर० शीर्ष– 7 (Referral Transport)

नया बजट क्रम संख्या/एफ०एम०आर० संख्या (अनुलग्नक-2 के आधार पर): 7.3

कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण –

परिवार कल्याण कार्यक्रम अंतर्गत गुणवत्तापूर्ण सुविधा प्रदान करने हेतु सरकार दृढ़संकल्पित है। भारत सरकार द्वारा पत्रांक संख्या D.O No. 11024/2014-FP Dated.30<sup>th</sup> January, 2015 के द्वारा सूचित है कि इच्छुक लाभार्थी परिवार कल्याण ऑपरेशन हेतु सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में आते हैं तो उन्हें बंध्याकरण ऑपरेशन/पुरुष नसबंदी पश्चात् वापस घर तक जाने हेतु वाहन की व्यवस्था किया जाना है। उक्त हेतु PIP अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 में राशि का प्रावधान किया गया है।

वित्तीय वर्ष 2021-22 में बंध्याकरण/नसबंदी पश्चात् लाभार्थी को घर वापसी हेतु Ambulance (102 एवं 108) के माध्यम से करने हेतु व्यवस्था किया गया है।

इकाई राशि (रु० में) Ambulance के माध्यम से परिवहन हेतु निर्धारित राशि।

वित्तीय दिशा-निर्देश:-

1. Fixed Day Services अन्तर्गत स्वास्थ्य संस्थानों पर उपलब्ध Ambulance (102 एवं 108 ) का उपयोग परिवार कल्याण ऑपरेशन उपरान्त प्रत्येक लाभार्थी को उनके एक परिजन के साथ घर पहुँचाने हेतु किया जाना है ।.....
2. साथ ही Drop back for Sterilization services under FP के गतिविधि के अन्तर्गत NSV विधि से पुरुष नसबंदी के 1 घंटे पश्चात्, परम्परागत (Conventional) विधि से पुरुष नसबंदी एवं महिला बंध्याकरण के अगले दिन अथवा चिकित्सक के सुझाव के अनुसार लाभार्थी को घर वापस ले जाया जाना है।
3. Ambulance के क्षमता की अनुसार लाभार्थी एवं उनके एक परिजन को साथ में ले जाने का प्रावधान किया जा सकता है। यह ध्यान में रखा जाना है कि लाभार्थियों के घर की भौगोलिक क्षेत्र के अनुसार लाभार्थियों को Ambulance में ले जाया जाना श्रेयस्कर होगा।
4. Ambulance का प्रयोग करने पर कुल लाभार्थी की संख्या को रु० 250/- के गुणित कर प्रतिफलित राशि Ambulance अधिकृत एजेन्सी को भुगतान किया जायेगा, जो एम्बुलेन्स सेवा प्रदाता द्वारा प्रस्तुत मासिक विपत्र के अन्दर ही होगा।



**Dr. Md. Sajjad Ahmad**  
State Programme Officer  
State Health Society Bihar



(अविनाश कुमार पाण्डेय)  
राज्य कार्यक्रम प्रबंधक  
राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना



5. एम्बुलेन्स के विपत्र का भुगतान निम्नलिखित तथ्यों को ध्यान में रख कर किया जायेगा:-

(क) यदि एम्बुलेन्स के द्वारा परिवार कल्याण ऑपरेशन उपरान्त लाभार्थी को Drop Back किया जाता है अर्थात् यदि लाभार्थी को स्वास्थ्य संस्थान/अस्पतालों से उनको घर वापस किया जाता है तो प्रति लाभार्थी Drop Back की निश्चित राशि 250/- रू० का भुगतान एम्बुलेन्स सेवा प्रदाता को FRM Code 7.3 से किया जायेगा। एम्बुलेन्स के प्रस्तुत मासिक विपत्र में से उक्त Drop Back मद में भुगतेय राशि को घटाकर शेष राशि विपत्र की राशि का भुगतान Referral Transport के FMR Code 7.1 एवं 7.4.9 से किया जाएगा।

(ख) 102 एम्बुलेन्स सेवा प्रदाता को यह स्पष्ट रूप से निदेशित किया जाता है कि वे विपत्र के साथ परिवार कल्याण ऑपरेशन वाले Drop Back लाभार्थियों की सूची अनिवार्य रूप से संलग्न करेंगे ताकि Drop Back राशि का भुगतान Family Planning के FMR Code: 7.3 से करने के पश्चात् शेष विपत्र राशि का भुगतान Referral Transport के FMR Code: 7.1 एवं 7.4.9 से किया जा सके।

संबंधित कार्यक्रम पदाधिकारी का नाम – डा० मो० सज्जाद अहमद/निशांत कुमार

संबंधित कार्यक्रम पदाधिकारी का फोन नं० : 9473199393/9431005971



**Dr. Md. Sajjad Ahmad**  
State Programme Officer  
State Health Society Bihar



(अविनाश कुमार पाण्डेय)  
राज्य कार्यक्रम प्रबंधक  
राज्य स्वास्थ्य समिति, विहार, पटना

## क्रियान्वयन हेतु वित्तीय दिशा निर्देश वित्तीय वर्ष-2021-22

कार्यक्रम का नाम: NTEP

बजट/एफ०एम०आर० शीर्ष (ROP के आधार पर): Tribal Patient Support and Transportation Charges  
नया बजट क्रम संख्या/एफ०एम०आर० संख्या (ROP के आधार पर): 7.5.1

### कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरणी -

राष्ट्रीय यक्ष्मा उन्मूलन कार्यक्रम के अन्तर्गत संभावित एम०डी०आर० -टी०बी० रोगी / एक्स० डी०आर०-टी०बी० रोगियों को सहायता एवं यातायात पर होने वाली व्यय राशि का भुगतान इस मद से किया जाता है -

इकाई राशि (रु० मे) :- 39,20,000 /-(उनचालीस लाख बीस हजार रुपये मात्र)

### वित्तीय दिशा-निर्देश :-

- Presumptive TB या एम०डी०आर० टीबी मरीजों को जिला यक्ष्मा केन्द्र, / Collection Center/C&DST Lab/ CBNAAT Site पर जाँच या फॉलो-अप हेतु आने-जाने के लिए अधिकतम 400/- (चार सौ रुपये मात्र) प्रति भ्रमण (Monthly during IP and Quarterly during CP) के लिए अनुमान्य है।
- एम०डी०आर० टीबी मरीजों को District DR-TB Center/ Nodal DR-TB Center पर रोगी एवं सहायक को आने-जाने के लिए अन्तः जिला अधिकतम 400/- (चार सौ रुपये मात्र) एवं वाह्य जिला के लिए अधिकतम 1000/- (एक हजार रुपये मात्र) के लिए अनुमान्य है।

### संलग्न:-

- Norms and Basic of costing for RNTCP under NSP-2017-25
- Financial Management Manual for State and District Societies

उक्त निर्देशिका [www.tbcindia.org](http://www.tbcindia.org) पर देखा जा सकता है।

संबंधित कार्यक्रम पदाधिकारी/सलाहकार का नाम :-

डा० बाल कृष्ण मिश्र

संबंधित कार्यक्रम पदाधिकारी/सलाहकार का फोन नम्बर :-0612- 2636383/ 9473197731

## क्रियान्वयन हेतु वित्तीय दिशा निर्देश वित्तीय वर्ष—2021-22

कार्यक्रम का नाम: NTEP

बजट/एफ०एम०आर० शीर्ष (ROP के आधार पर): Sample Collection and Transportation Charges

नया बजट क्रम संख्या/एफ०एम०आर० संख्या (ROP के आधार पर): 7.5.2

### कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरणी —

राष्ट्रीय यक्ष्मा उन्मूलन कार्यक्रम के अन्तर्गत Non DMC- PHI से DMC- PHI तक, DMC- PHI से जिला यक्ष्मा केन्द्र /NAAT Site तक तथा जिला यक्ष्मा केन्द्र से IRL/C&DST प्रयोगशालाओं में बलगम भेजने का प्रावधान है ।

इकाई राशि (रु० में) :- 2,58,54,000/- (दो करोड़ अनठावन लाख चौवन हजार रुपये मात्र)

### वित्तीय दिशा-निर्देश :-

- जिलों में टीबी नोटिफिकेशन के लक्ष्य को प्राप्ति करने के लिए Health & Wellness Centre, Non DMC PHI (APCH), आदि से निकटतम Microscopy Centre / TrueNat/ CBNAATY लैब में सैम्पुल को भेजने की प्रक्रिया सुनिश्चित करना आवश्यक है ।
- इसके लिए सामुदायिक स्वैच्छिक कार्यकर्ता यथा AVD Courier को रोगियों के सैम्पुल ट्रान्सपोर्टेशन हेतु भुगतान किया जाएगा ।
- प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी एवं जिला संचारी रोग पदाधिकारी (यक्ष्मा) द्वारा प्रखण्डवार / संस्थानवार निर्धारित तिथियों पर एक अथवा अधिक सैम्पुल ट्रान्सपोर्टेशन करने के लिए प्रखण्ड के अन्तर्गत 200/-रुपये प्रति विजिट एवं प्रखण्ड से बाहर जिला के अन्तर्गत 400/-रुपये प्रति विजिट के दर से अधिकतम सप्ताह में दो दिन भुगतान किया जा सकता है ।
- सभी जिलों (पटना, भागलपुर एवं दरभंगा को छोड़कर) जिलों द्वारा IRL/C&DST प्रयोगशालाओं में बलगम भेजने हेतु सरकारी कर्मियों को देय दैनिक भत्ता एवं अनुमान्य पात्रता के अनुरूप वास्तविक भाड़ा तथा चयनित Human Courier को सरकार द्वारा निर्धारित मजदूरी एवं वास्तविक भाड़ा (अधिकतम 1000/- एक हजार रुपये मात्र) प्रति सप्ताह (दो बार) के लिए अनुमान्य है । आवश्यकतानुसार संबंधित IRL/C&DST Lab को सूचित कर दो से ज्यादा दिन की सैम्पल भी ला सकते हैं ।
- मानक के अनुरूप सैम्पल की पैकिंग कर भेजा जाना आवश्यक है ।

### संलग्न:-

- Norms and Basic of costing for RNTCP under NSP-2017-25
- Financial Management Manual for State and District Societies

उक्त निर्देशिका [www.tbcindia.org](http://www.tbcindia.org) पर देखा जा सकता है ।

संबंधित कार्यक्रम पदाधिकारी/सलाहकार का नाम :-

डा० बाल कृष्ण मिश्र

संबंधित कार्यक्रम पदाधिकारी/सलाहकार का फोन नम्बर :-0612- 2636383/ 9473197731